मेरा बजट

प्रसाद बिडप्पा
फैशन गुरु

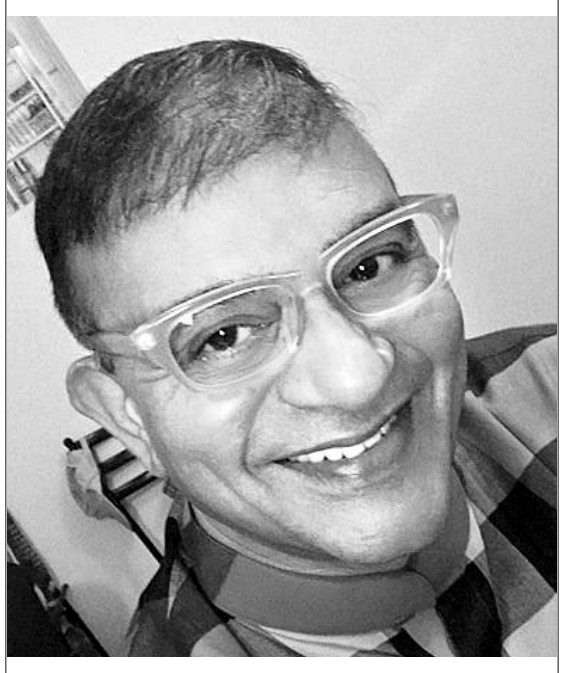

क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाल लिया है?

यह कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि हमारी अर्थवव्यवस्था की मजबूती के लिए हरसंभव कदम उठाने के जरूरत है। आयकर में कमी मध्य वर्ग के लिए सकारात्मक संकेत है।

क्या यह लोकलुभावन बजट है?

इस बजट से खास तौर से किसानों को मदद मिलेगी क्योंकि कृषि क्षेत्र को खासा प्रोत्साहन दिया गया है, जिसकी काफी जरूरत थी। लेकिन ग्रामीण इलाके में अधिकतम संकट के समय खर्च में कटौती चिंताजनत है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट आवंटन में कमी की गई है।

क्या इससे अर्थव्यवस्था को नौकरियों के सृजन और अटकी परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी?

प्रधानमंत्री के कौशल विकास कार्यक्रम को भारत के कपड़ा व शिल्प क्षेत्र के पारंपरिक कौशल पर नजर डालना चाहिए ताकि युवाओं को इन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे काफी अंतर आएगा क्योंकि ग्रामीण इलाके में यह रोजगार का सृजन करेगा। सार्वजनिक खर्च में मजबूती से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है और कारोबार को सुरक्षा हासिल हो सकती है।

बजट प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख योजना मनरेगा के आवंटन में 2020-21 में 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 13 प्रतिशत की कमी की गई है

"इस बार के बजट में बुनियादी संरचना के विकास तथा एमएसएमई और रोजगार सृजन जैसे पक्षों पर भी ध्यान दिया गया है।"

कल्याण कृष्णमूर्ति, सीईओ, फ्लिपकार्ट

ग्रामीण आमदनी बढ़ना मुश्किल

कृषि क्षेत्र/ग्रामीण खपत

ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख योजना मनरेगा के आवंटन में 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 13 फीसदी की कमी की गई

भारत के ग्रामीण इलाकों में खपत में वृद्धि घटी है, जिससे यह उम्मीद की जा रही थी कि 2020-21 के बजट में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के हाथ में धन पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार की दो प्रमुख योजनाओं पीएम-किसान और मनरेगा के आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी करने में असफल रही हैं, जिससे ग्रामीण आमदनी को सीधे बढ़ावा मिल सकता था। हालांकि उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए कदमों की घोषणा की है, लेकिन इसे लागू करने में लंबा वक्त लगता है। उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में कमी करने के अलावा बजट कोई ठोस खाका खींचने में असफल रहा है।

हालांकि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है और अब इस क्षेत्र को कॉर्पोरेट पर लागू घटी दरों के हिसाब से ही कर देना होगा। इससे किसान केंद्रित सहकारी संगठनों जैसे अमूल और चीनी सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख योजना मनरेगा के आवंटन में 2020-21 में 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 13 प्रतिशत की कमी की गई है। इसमें 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में करीब 11,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।

पीएम-किसान का आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 में भी 75,000 करोड़ रुपये बरकरार रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में आमदनी का समर्थन दिया जाता है। बजट दस्तावेजों से पता चलता है कि 2019-20 में आवंटित राशि 75,000 करोड़ रुपये की तुलना में संशोधित अनुमान के मुताबिक सिर्फ 54,370 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 2018-19 में जब यह योजना पहली बार पेश की गई थी तो इस मद में 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था और इसमें से भी महज 1,241 करोड़ रुपये खर्च हो पाए थे। पहले दो वर्षों में पीएम किसान में कम खर्च की एक वजह यह हो सकती है कि किसानों के पंजीकरण में हर चरण में गिरावट आई है। पीएम-किसान की वेबसाइट के मुताबिक अब तक इस योजना में करीब 9.5 करोड़ किसानों का पंजीकरण हुआ है, जबकि 2015-16 की कृषि जनगणना के मुताबिक यह संख्या 14.5 करोड़ है।

2020-21 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 15,00,000 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो 2019-20 के 12,00,000 करोड़ रुपये आवंटन से ज्यादा है।

सब्सिडी के माध्यम से छूट, कम अवधि के कृषि ऋण के मद में 2020-21 का बजट आवंटन 21,175 करोड़ रुपये है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 18.54 प्रतिशत ज्यादा है।

सरकार ने बजट में यह प्रावधान ऐसे वक्त में किया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक के एक आंतरिक कार्यसमूह ने एक महीने पहले ही दिखाया था कि बहुत ज्यादा सब्सिडी वाले कृषि ऋण का इस्तेमाल कुछ राज्यों में अपात्र किसान कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र में कर्ज उसके कृषि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में ज्यादा था।

2020-21 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 15,00,000 करोड़ रुपये तय किया गया है

ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली तीन बड़ी योजनाओं पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम- ग्राम सड़क योजना और आजीविका मिशन में आवंटन 2019-20 के स्तर पर बरकरार रखा गया है और पहले दो के लिए 19,000 करोड़ रुपये और तीसरे के लिए 9,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने के लिए बजट में महज 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कृषि सुधार पर मॉडल एक्ट को स्वीकार कर इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जोड़ने से राज्यों को इसे स्वीकार करने को प्रोत्साहन मिल सकता है। सीतारमण ने 20 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए पीएम-कुसुम के विस्तार की घोषणा की है और साथ ही 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप दिए जाएंगे। बहरहाल सरकार ने इस मद में महज 1000 करोड़ रुपये आवंटित किया है।

किसान आय

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार की दो प्रमुख योजनाओं पीएम-किसान और मनरेगा के आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी करने में असफल रही हैं
- पीएम-किसान का आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 में भी 75,000 करोड़ रुपये बरकरार रखा गया है
- सब्सिडी के माध्यम से छूट, कम अवधि के कृषि ऋण के मद में बजट आवंटन 21,175 करोड़ रुपये है
- सीतारमण ने पीएम-कुसुम के विस्तार की घोषणा की

एफडीआई, ईसीबी से शिक्षा में शोध का ढांचा हो सकता है मजबूत

शिक्षा

वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के जरिये शिक्षा में फंडिंग के वित्त मंत्री के ऐलान से इस क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में शोध का बुनियादी ढांचा मजबूत बन सकता है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में कहा, 'यह महसूस किया गया कि प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने, नवोन्मेष और बेहतर प्रयोगशाला के निर्माण की खातिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर वित्त की दरकार है। इसलिए वाह्य वाणिज्यिक उधारी और एफडीआई हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सके।' उन्होंने 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए करीब 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए करीब 3,000 करोड़ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की अन्य प्रमुख घोषणाओं में जल्द ही एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने और डिग्री स्तर की पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'उच्च शिक्षा तक पहुंच न रखने वाले समाज के वंचित तबकों के छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिग्री स्तर पर पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह केवल उन्हीं संस्थानों द्वारा मुहैया कराई जाएगी जिन्हें राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग ढांचे में शीर्ष 100 पायदान के दायरे में रैंकिंग दी गई है। शुरू में ऐसे कुछ ही संस्थानों को इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा जाएगा। भारत को उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा जगह बनना चाहिए। इसलिए भारत में पढ़ो कार्यक्रम के तहत इंड-सैट को एशियाई और अफ्रीकी देशों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसका इस्तेमाल उन विदेशी उम्मीदवारों के बेंचमार्किंग में किया जाएगा जो भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं।'

अधिकतर जानकारों का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में की गई घोषणाएं उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा करती हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि ईसीबी और एफडीआई संबंधी पहल से कहीं अधिक विदेशी पूंजी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त होगा जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए वित्त पोषण संबंधी समस्याएं दूर होंगी।

एसवीकेएम की डीम्ड विश्वविद्यालय एनएमआईएमएस के कुलपति राजन सक्सेना ने कहा कि उच्च शिक्षा में एफडीआई की अनुमति 2016 में दी गई थी लेकिन कुछ शर्तों के कारण विदेशी निवेश आकर्षित नहीं हो सका। उन्होंने कहा, 'हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक संबंधित मंत्रालय- मानव संसाधन, वित्त एवं वाणिज्यि- इसके लिए नियम तैयार नहीं कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जल्द घोषणा होने वाली नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा बुनियादी ढांचा, नियम-कायदे और वित्तीय व्यय में उल्लेखनीय बदलाव होगा।'

उद्योग संगठन फिक्की की सहायक महासचिव और शिक्षा सलाहकार शोभा घोष ने कहा कि ईसीबी और एफडीआई की घोषणा से इस क्षेत्र में निवेश संबंधी खाई को पाटने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के संस्थानों को अनुसंधान, छात्रवृत्ति एवं बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक वैकल्पिक फंड उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा, 'हरेक विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।'

शहानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक अखिल शहानी का मानना है कि इस पहल से ट्रस्टों को ईसीबी एवं एफडीआई के जरिये रकम जुटाने में मदद मिलेगी जिससे विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) को आसान बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, 'इससे शिक्षा में विदेशी निवेश का आधार व्यापक होगा। साथ ही ईसीबी के लिए एफसीआरए जरूरतों को आसान बनाने की आवश्यकता होगी। विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है क्योंकि शिक्षा में काफी निवेश की आवश्यकता है। विदेशी ऋण सस्ती ब्याज दरों और आसान शर्तों पर मिल सकता है।'

आईआईएम कोझिकोड के निदेशक देवाशिष चटर्जी ने कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) इसे लेकर चिंतित नहीं है क्योंकि इस नीति का पूरा ब्यौरा मिलना अभी बाकी है। उन्होंने कहा, 'हमें इस नीति के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार करने की जरूरत है ताकि यह पता चल सके कि क्या इसका तात्पर्य भारत में वैश्विक स्कूलों और कॉलेजों के खुलने से तो नहीं है।'

मुश्किल हालात ने बांधे सरकार के हाथ

पृष्ठ 1 का शेष

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए भी बजट में खास खबर नहीं रही। वित्त मंत्री ने वायदा किया कि 5 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाले एमएसएमई का स्वत: ऑडिट नहीं होगा और उन्हें बैंकों से सरकारी गारंटी वाला कर्ज मिलेगा। सीतारमण ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने वाले उपायों का सिलसिला बजट में भी जारी रखा और कुछ उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए। डंपिंग और बढ़ता आयात रोकने की व्यवस्था को मजबूत किया गया। फर्नीचर, घरेलू वस्तुओं और उपकरणों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों पर शुल्क बढ़ाया गया और कुछ पर तो उसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी तक कर दिया गया। मगर स्क्रीन और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे पुर्जों पर शुल्क बढ़ाने से भारत में असेंबल होने वाले फोन महंगे हो जाएंगे। बजट में वित्तीय क्षेत्र के लिए भी कुछ रखा गया। खुदरा निवेशक ल्द ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। कुछ सरकारी प्रतिभूतियां अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोल दी जाएंगे, जिससे सरकार को घरेलू बचत से कम उधार लेना पड़ेगा और भारतीय ऋण को विदेशी सूचकांकों में तेजी से शामिल होने में भी मदद मिलेगी। इससे वैश्विक धन भारत में तेजी से आएगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को कानूनी समर्थन दिए जाने का वायदा भी बजट में किया गया, जिससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में गहराई आएगी। आईडीबीआई बैंक में सरकार की बची-खुची हिस्सेदारी भी बेच दी जाएगी। वित्त मंत्री ने पहले से चल रही कई योजनाओं को आगे जाकर भारी धन देने का वायदा भी किया, जिनमें जलजीवन पेयजल योजना शामिल है। सीतारमण ने कहा कि इस योजना के लिए कुल मिलाकर 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित होंगे मगर बजट में इसके लिए केवल 11,500 करोड़ रुपये ही दिए गए। बजट में खर्च में कंजूसी बरती गई। खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सब्सिडी नए वित्त वर्ष में भी 2.3 लाख करोड़ रुपये ही रहेगी। वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में रक्षा पर खर्च केवल 2 फीसदी बढ़ा गया। खर्च में इस तरह की कटौती से वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे की लगाम तो कस ली, लेकिन मांग में कमी जारी रहने का खटका भी इससे पैदा हो गया है।

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
(कारपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)
RSYSTEMS पंजीकृत कार्यालय : जीएफ- 1- ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307
दूरभाष : +91 120 4303500; फैक्स : +91 120 4082699
वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsystems.india@rsystems.com

सूचना

एतद्द्वारा सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशनस एण्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) विनियमन, 2015 के नियम 29, 33 साथ में पठित नियम 47 एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुसरण में सूचना प्रदान की जाती है कि दिसम्बर 31, 2019 को समाप्त कम्पनी की तिमाही एवं वार्षिक अंकेक्षित एकीकृत वित्तीय परिणामों एवं संगठित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत करने हेतु कम्पनी के निदेशकों के मंडल की वर्ष 2020 की प्रथम बैठक कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय सी - 40, सेक्टर - 59, नौयडा (उ०प्र०) - 201 307 में रविवार, दिनांक फरवरी 09, 2020 को आयोजित करनी तय की गई है।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com एवं स्टॉक एक्सचेंन्जों, जहाँ पर कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइटों i.e. नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड - www.nseindia.com, एवं बीएसई लिमिटेड - www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
हता०/-
भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : फरवरी 01, 2020
स्थान : नौयडा (उ०प्र०)

Fullerton Grihashakti **फुलर्टन इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड**
कार्पोरेट कार्यालय : छटी मंजिल, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लेक कैसल के पीछे, पोवई, मुम्बई 400 076
पंजीकृत कार्यालय : मेगा टावर्स, तिसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड़, मदुरावोयल, चेन्नई - 600095

मांग सूचना पत्र

सुरक्षा हित के (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (''नियम'') तथा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''एक्ट'') के प्रावधानों के तहत।

अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम के तहत फुलर्टन इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड (FIHFC) का प्राधिकृत अधिकारी है तथा अधिनियम की धारा 13(12) सहपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी किया है जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथी से 60 दिनों के भीतर निम्न देनदारों को संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित मात्रा को चुकाने के लिए आह्वान कर रहे है। अधोहस्ताक्षरी को तर्कसंगत विश्वास है कि देनदार मांग सूचना की तामिल से बच रहे है, अत: सूचना की तामिल नियमानुसार एफिसेक्शन व प्रकाशन के द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग सूचना के कंटेंट यहां नीचे उल्लेखित है।

क्र.	ऋणीयों / सहऋणीयों के नाम	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)
1	**(LAN No: 609107210432663** **1. श्री दीपक चौधरी** **2. श्रीमती लता करम सिंह** **पता 1:** फ्लेट नं.4, अग्रसेन आवास, प्लाट नं. 66 आईपी एक्सटेशन पत्पारगंज, आईपी एक्सटेशन पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली-110092. **पता 2:** 903-909, 9वींमंजिल, बिगजोस टॉवर, नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली-110034. **पता 3:** संपत्ति क्रं.1/5386, खसरा नं. 1/188 एवं 1/189 में से, ग्राम झियाउद्दीनपुर, गली नं. 14, बलबीर नगर एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, नई दिल्ली - 110032. **पता 4:** परिवार अपार्टमेंट, फ्लेट नं. 8, तल मंजिल आईपी एक्सटेंशन पत्पारगंज, आई.पी एक्सटेंशन पूर्व दिल्ली - 110092.	**दिनांक** **01.02.2020** **₹ 39,33,316.85** (रु. उनचासील लाख तैतीस हजार तीन सौ सौलह एवं पिच्यासी पैसे मात्र) **एनपीए की दिनांक** **31.01.2020**	संपत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग:– छत के बिना उच्चतम स्तर तक पूरी दूसरी मंजिल, निर्मित संपत्ति नंबर 1/5386 के दाहिने हिस्से, क्षेत्र माप 100 वर्गयार्ड अर्थात 83.61 वर्गमीटर अपनी पूरी संरचना के साथ–साथ सार्वजनिक प्रवेश द्वार, सीढ़ियों, और लिफ्ट के साथ छत के स्तर तक के निर्माण के अधिकारों के साथ, वहां पर बने अंतिम मंजिल तक, केवल पानी की टंकी, डिश एंटेना आदि के रखरखाव या मरम्मत के लिए ऊपरी मंजिल पर छत पर जाने के अधिकार के साथ, उक्त भवन के नीचे की भूमि के अनुपात में अविभाजित और अदृश्य स्वामित्व के साथ–साथ टू–व्हीलर और एक कार पार्किंग के साथ, बिजली और पानी की नल कनेक्शन के मीटरों साथ रनिंग कंडीशन में लगे हुए हैं। शीर्ष तल पर एक पानी की टंकी, खसरा नंबर 1/188 और 1/189 में झियाउद्दीनपुर गांव में, आबादी में गली नंबर 14, बलबीर नगर एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिल्ली –110032 में मौजूद है। **चर्तु:सीमा:** पूर्व: अन्य की संपत्ति, उत्तर: अन्य की संपत्ति, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: 20 फीट सड़क

देनदारों को मांग सूचना का अनुपालन करने तथा इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस चार्ज, लागत व खर्चो के साथ वहां उल्लेखित व उपर्युक्त मांग राशि चुकाने की सलाह दी जाती है। देनदार नोट करें कि FIHFC सिक्योर्ड क्रेडिटर है तथा देनदारों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा अचल संपत्तियों के खिलाफ सिक्योर्ड ऋण है जो देनदारों द्वारा बंधक सिक्योर्ड एसेट है।

यदि देनदार निर्दिष्ट समय के भीतर अपने दायित्वो का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहते है तो सिक्योर्ड एसेट का कब्जा लेने के लिए एक्ट की सेक्शन 13(4) के तहत सभी अधिकारों का उपयोग करने के लिए FIHFC हकदार होंगे जिसमें उसे बिक्री द्वारा ट्रांसफर करना या एक्ट व नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य रेमेडी का आह्वान करके भुगतान वसूलना शामिल है पर वह उस तक सिमित नहीं है। बिक्री या ट्रांसफर के अधिकार का प्रयोग करने से पहले FIHFC की सिक्योर्ड एसेट अटैच तथा/ अथवा सील करने का अधिकार भी है। सिक्योर्ड एसेट की बिक्री के बाद FIHFC के पास बकाया राशियों की वसूली हेतु अगल कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने का भी हक है, यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य FIHFC को देय बकायों को कवर करने के लिए अपर्याप्त हो। यह रेमेडी किसी अन्य कानून के तहत FIHFC को उपलब्ध अन्य सभी रेमेडी के अतिरिक्त एवं स्वतंत्र है।

सिक्योर्ड एसेट को रिडीम करने के लिए उपलब्ध समय के बारे में देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है तथा एक्ट की सेक्शन 13(13) के क्रम में जिसके द्वारा FIHFC की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर देनदारों को किसी भी सिक्योर्ड एसेट को निपटान करने या डील करने या बिक्री, लीज या अन्यथा (व्यापार के साधारण कोर्स को छोड़कर) के माध्यम से ट्रांसफर करने से प्रतिबंधित/निषेध किया जाता है तथा उक्त का अनुपालन नहीं करने पर यह उक्त एक्ट की सेक्शन 29 के अधीन दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा देनदार यदि चाहे तो उसे किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकता है।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 02.02.2020

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
फुलर्टन इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

ansal HOUSING ENRICHING LIVING STYLES
Ansal Housing Limited
— An ISO 9001:2015 Company —
(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)
पंजीकृत कार्यालय 606, 6वां तल, इंद्र प्रकाश, 21 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001
प्रधान कार्यालय 2एफ–एएचसीएल, दूसरा तल, अंसल प्लाजा, सेक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.–201010
ई–मेल : ahl@ansals.com वेबसाइट : www.ansals.com सीआईएन : L45201DL1983PLC016821

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अन्य विषयों के साथ 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी।
अधिक विवरण कंपनी की वेबसाइट www.ansals.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

अंसल हाऊसिंग लिमिटेड के लिए
(पूर्ववर्ती अंसल हाऊसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लि.)
हस्ता./-
(एस. एन. ग्रोवर)
अपर वी.पी. एवं कंपनी सचिव
एम.नं.: एफ4055

दिनांक: 01 फरवरी, 2020
स्थान: वैशाली, गाजियाबाद

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: नं. 202, दूसरी मंजिल, विक्रमादित्य टावर, अलकनंदा मार्केट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019
ई-मेल: cs@spllimited.com, **वेबसाइट:** www.spllimited.com
CIN: L74899DL1991PLC062744

बोर्ड की बैठक की सूचना

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के प्रावधान के अनुपालन के तहत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए कंपनी के अनाकंक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उस पर अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल की बैठक **बृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2020** को आयोजित होगी।

इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित वित्तीय परिणामों की घोषणा के उद्देश्य से (घनिष्ठ व्यक्तियों की ट्रेडिंग पर निषेध) (संशोधन), विनियमन, 2018 के अनुसार घनिष्ठ व्यक्ति की ट्रेडिंग पर निषेध के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुसार कंपनी के सभी निदेशकों, केएमपी, अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए कंपनी की प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो 01 जनवरी, 2020 से स्टॉक एक्सचेंजों में लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के जमा करने की तारीख के उपरांत 48 घंटे तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट यानी www.spllimited.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

कृते **एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
–हस्ता–
आशीष यादव
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : 01.02.2020
स्थान : फरीदाबाद